कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रशि0/परिषद सम्बद्धता/2019/1139 दिनांक: दिनांक 15-6-2019

कार्यालय ज्ञाप–

अखिल भारतीय सहशिक्षा शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु बिना शुल्क प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/संबद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 04-5-2019 को उक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु प्रार्थना पत्र संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबद्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–12 में निम्नलिखित इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठित निरीक्षण–टीम की निम्नवत निर्णय लिया गया :–

"ऐसी नवस्थापित निम्नांकित इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019–20 हेतु एआईसीटीईएनओसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परन्तु पीसीआई द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त एआईसीटीईएनओसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम सत्र 2019–20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पीसीआई अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रवेश वर्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में शैक्षिक आह्वान कर लिया जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

उक्त निर्णयानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय–विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अधिकार हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई/बीसीआई द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2000	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

शर्तें

✓ संस्था एआईसीटीई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
✓ संस्था [illegible] प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 तथा उक्त नियमित नियमों एवं अध्यादेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निरीक्षक समिति द्वारा निर्धारित तीन वर्षीय [illegible] पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,00,000/– प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0– 15,00,000/– प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के वर्षीयता हेतु रू0– 50,000/– प्रतिवर्ष पूरा की प्रत्येक अवधि/अवधा में प्राप्त किया जायेगा। संस्था के प्रतिनिधि छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में वाद–विवाद एवं वसूल द्वारा निर्णय लिये जाने

Scanned with CamScanner

[illegible] अनिवार्य होगी और वाहनवार सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक होगा। जैसा कि [illegible] समिति द्वारा वर्ष सत्र 2019-20 हेतु [illegible] किया गया है, की शर्तें भी लागू होंगी।

- ✓ योजना में [illegible] प्रतिबिम्ब [illegible] की [illegible] किया जाना, निर्माणकार्यों-2022 की शर्तों एवं अनुमोदन प्राप्त होगा।
- ✓ कार्य में वास्तुकला [illegible] परीक्षा परिषद द्वारा अधिकृत [illegible] को ही कार्य दिया जायेगा। [illegible] के लिए [illegible] की स्थिति में [illegible] के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ योजना को [illegible] स्तर पर निर्गत मानचित्र के अनुसार निर्माण एवं [illegible] पूरा करना होगा।
- ✓ योजना के [illegible] के अन्तर्गत [illegible] हेतु [illegible] प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ योजना [illegible] प्रवेश [illegible] प्राप्त करने वाले [illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] एवं [illegible] प्रशिक्षण शिक्षा, [illegible], [illegible] [illegible] परिषद, [illegible] तथा प्रशिक्षक शिक्षा [illegible] द्वारा [illegible] तथा [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होंगी।
- ✓ [illegible] द्वारा [illegible] की [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

कार्यालय,
सचिव, प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रशि०/परिषद सम्बद्धता/2020/ [illegible] लखनऊ: दिनांक: 16-9-2020

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान सत्र 2020–21 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उ0प्र0 प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020–21 हेतु कार्यवाहित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व के संबद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों का विचार करते हुए सत्र 2020–21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व के सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020–21 हेतु पीसीआई0 द्वारा उन्हें अस्थायी अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020–21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020–21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14–08–2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020–21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संख्या कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई0 द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

शर्तें हेतु शर्तें

- संस्था पीसीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा परिषद एवं उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, संशोधन विनियमावली-2015 तथा उक्त नियमों नियमों एवं अर्हतायें का अनुपालन करेगी तथा मूलभूत नियमावली द्वारा निर्धारित मूलभूत शैक्षणिक शुल्क वर्तमान प्रवेश पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,000.00/– प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0– 45,000.00/–प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0–22,500.00 प्रतिवर्ष मूलभूत ही छात्रों द्वारा/संस्था

Scanned with CamScanner

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

(डा० राजकुमार सिंह)
महापौर

पृ०सं०– [illegible]/[illegible]/2020/ [illegible] दिनांक: 15-03-2020

प्रतिलिपि: अपर आयुक्त/निदेशक, [illegible] कॉलेज [illegible], [illegible] ऑफ [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], नई दिल्ली, [illegible]।

(डा० [illegible])
[illegible]

Scanned with CamScanner

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3527

लखनऊ:
दिनांक:
[illegible]/2021

सम्बद्धता पत्र:

समिति सम्बन्धित फार्मेसी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी सम्बन्धित अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- [illegible]2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व में आवेदित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य पदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : 2012-DR ABHISHEK PRAKASH SHARMA COLLEGE OF PHARMACY VILL-MADHUK POST-MAHAMALAK BADOK,GHAZIABAD-[illegible]

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, कॉमन विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0 16150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि निर्धारित समिति द्वारा वर्ष सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार) विनियमावली-2008 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को उ0प्र0/[illegible]/पी0सी0आई0 के आवश्यक पत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्बद्धता उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तीय रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई जवाबदेही नहीं होगी। उपरोक्त शर्त के सम्बन्ध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संस्तुति/आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिकूलतायें संबंधित संस्था को वहन करनी होंगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कटआफ निर्गत प्राप्त होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कटआफ निर्गत के पश्चात से अधिक संख्या स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

सुरेश कुमार
डोंगरा

पदेन

[illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि:-

[illegible] COLLEGE OF PHARMACY VILL-NAGPUR POST-MANSOWAL [illegible]

सुरेश कुमार
डोंगरा

पदेन

[illegible]

Scanned with CamScanner